

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहक
हुक्म व
ज

23/6/18

पत्रावली लोक अदालत कम्प जालिमपुरा में पेश हुई। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा० मि० किया गया। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार ने कथन किये कि वादी द्वारा आवंटन शुदा ग्राम थारला तहसील दीगोद स्थित पुराने ख०नं० 127/1 की 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि के नये ख०नं० का रकबा 0.50 हे० भूमि पर खातेदार घोषणा चाही है। उक्त क्रम में दिनांक 23.06.2018 को ग्राम थारला के नामा० सं० 281 से खातेदारी वादी को ख०नं० 325/30 रकबा 0.48 हे० भूमि पर दी जा चुकी है तथ वाद वादी खारिज किये जानें का निवेदन किया। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया, पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर मनन किया। प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विधिक विचारण किया। वादी को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है, जिससे प्रकरण में किसी प्रकार कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



डिक्की मुकदमा
(आ 20 रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत केम्प जालिमपुरा

उनवान

रामदेव पुत्र रामनारायण जाति बैरवा निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा
-वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
-प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट


मिसल नम्बर-118/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस.
बहाजिरी भिनजानिब मुद्दई रुबरु भिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि " वाद वादी खारिज किया जाता है।" तदनुसार अंतिम डिक्की जारी की
जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प बकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प बज्रूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद